एकल पीठ दां.प्रकीर्ण सजा स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या938/2009
अन्तर्गत
एकल पीठ दाण्डिक अपील संख्या914/2009
सीतादेवी सोनी **बनाम** राजस्थान राज्य।

दिनांक:31/8/2009

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

श्री जयप्रकाश गुप्ता अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थिनी उप0
श्री प्रदीप श्रीमाल लोक अभियोजक वास्ते राज0 राज्य उप0

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिनी एवं विद्वान लोक अभियोजक को धारा 389 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दण्डादेश स्थगित किये जाने बाबत सुना गया और आक्षेपित निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया।

अपीलार्थिनी की ओर से अन्तर्गत नियम 311 (3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियम का प्रमाण-पत्र पेश किया गया है जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि अपीलार्थिनी विचारण के दौरान जमानत पर थी।

विद्वान लोक अभियोजक ने दण्डादेश स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थिनी के विरुद्व विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश को अपील के निर्णित होने तक स्थगित किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थिनी सीतादेवी सोनी, इस न्यायालय में दिनांक

30/9/2009 को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे अपनी उपस्थिति हेतु, वह विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, पच्चीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व इसी राशि की एक सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूति प्रस्तुत कर दे तो उसके विरुद्व न्यायाधीश, डेजिग्नेटेड कोर्ट फॉर राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 6/8/2009 का क्रियान्वयन उपर्युक्त अपील के निर्णित होने तक स्थगित रहेगा।

(महेशचन्द्र शर्मा)
न्यायाधिपति

/राम/